

सं०स०-11 / आ०प्र०(विविध)-01 / 2024-... 3.11. (11)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

छिरिड. वाई. भूटिया (भा०प्र०से०)
अपर सचिव,

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन, बिहार

पटना, दिनांक- 04/05/2026

विषय:- वर्ष-2026 के संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी की रोकथाम के तैयारियों हेतु अनुदेश।

प्रसंग:- सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक-997 / आ०प्र०, / दिनांक-09.04.2026
महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आप अवगत है कि राज्य में हर वर्ष मानसून अवधि के दौरान कई जिलों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। राज्य में 29 बाढ़ प्रवण जिलों में से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिलों की श्रेणी में आते हैं साथ ही कई अन्य जिले भी बाढ़ से प्रभावित होती हैं। इन अति बाढ़ प्रवण जिलों एवं बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ से जान-माल की क्षति के अलावे कई तरह की जल जनित बीमारियाँ भी फैलती हैं जो महामारी का रूप ले सकती हैं। इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जाये जिससे कि बीमारियों का फैलाव नहीं हो एवं यदि हो जाय तो उसका समुचित उपचार एवं नियंत्रण किया जा सके।

2 बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित बीमारियों की समस्या से निपटने हेतु बाढ़ प्रवण जिलों के साथ-साथ गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाढ़ आपदा तैयारी के अपेक्षित बिन्दु निम्नांकित हैं:-

(क) सामान्य:-

- 1 जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी रोक-थाम समिति गठित है, जिसमें उप विकास आयुक्त/पुलिस अधीक्षक/ सिविल सर्जन/ खाद एवं उपभोगता संरक्षण विभाग/ जिला आपदा प्रबंधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं।
- 2 यह समिति अपने जिले में बाढ़/जल-जमाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के सम्भावित क्षेत्रों का पूर्ण के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेगी एवं वहाँ पर त्वरित तरीके से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करेगी तथा इसके लिए प्रचार-प्रसार के माध्यम का भी इस्तेमाल करेगी।

(ख) बाढ़ पूर्व तैयारियों का अभ्यास :-

बाढ़ तैयारी के सबंध में स्वास्थ्य कर्मियों/गैर सरकारी सगठनों के साथ Mock Exercise/ Mock drill का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाय।

(ग) निरोधात्मक :-

शुद्ध पेयजल आपूर्ति:-

1. ऐसे सभी पेयजल श्रोतो की पहचान मॉनसून पूर्व (माह मई-जून) में कर ली जाय जिसे जनसाधारण व्यवहार में लाते हो। इस हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी/ कर्मियों की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
2. पेयजल श्रोत बाढ़ के पानी/जल-जमाव से प्रभावित होते हैं, अतः उस क्षेत्र के पीने के पानी का शुद्धिकरण, छोटे श्रोतो के लिए क्लोरीन टिकिया (हैलोजेन टिकिया) एवं बड़े श्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से किया जाए।
3. विगत वर्षों के अनुभव से बाढ़ के पश्चात् जल-जमाव की स्थिति में मच्छरो के प्रकोप बढ़ने से डेगू/मलेरिया/ कालाजार इत्यादि महामारी का फैलाव बहुत तेजी से होती है। जिससे काफी संख्या में जनसमूह के अक्रान्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जिला मलेरिया पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रभावित क्षेत्रों में डी0डी0टी0 का छिड़काव एवं फॉगिंग कार्य सुनिश्चित करायेगे तथा संबंधित कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी हेतु तैनात रखेगे।
4. जिला/प्रखंड के स्वच्छता निरीक्षक पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पानी के नमूनों का संग्रह करेगे तथा उसकी जाँच सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से प्रमण्डलीय प्रयोगशाला/चिकित्सा महाविद्यालय अथवा लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में करायेगे।
5. पेयजल संकट से निबटने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत “पेय जलसंकट हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया” में वर्णित निर्देशों का भी अनुपालन किया जा सकेगा। जो आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के वेबसाइट-www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) चिकित्सा दलों का गठन :-

1. जिला स्तर/प्रखंड स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा दलों का (चलन्त/स्थायी/अस्थायी) गठन होगा जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/परिचारिका/पारा मेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों रहेगे जो सिविल सर्जन के द्वारा नामित किए जायेंगे तथा चिकित्सा दल को प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर सिविल सर्जन द्वारा भेजे जायेगे।
2. बाढ़ के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में जल-जनित रोग से काफी जनसंख्या ग्रसित होती है जिसमें अतिसार से ग्रसित व्यक्तियों के समय पर उपचार न होने से मृत्यु भी हो जाती है। प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनसाधारण को यह अवगत कराया जाय कि वे प्रभावित क्षेत्रों की सूचना, चौकीदार/पचायत के सदस्य/स्वास्थ्यकर्मियों/सिविल सर्जन/स्थानीय थाना/पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगे। सिविल सर्जन तथा उस क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि चिकित्सा दल तुरंत प्रभावित स्थल पर भेजेगे एवं महामारी नियंत्रण करेगे।

(च) दवाओं की उपलब्धता :-

1. विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर बाढ़/महामारी से निपटने हेतु जिला से प्रखंड स्तर तक दवाओं की उपलब्धता का आकलन कर तैयारी सुनिश्चित कर ली जाय।
2. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों यथा डायरिया आदि की रोकथाम हेतु ओ0 आर0 एस0 एव एन्टीडायरियल सबधित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर ले इन दवाओं के अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टेबलेट, ए0एस0भी0एस0 (ASVS) एव ए0आर0भी0 (ARV) का भंडारण सुनिश्चित कर लेगे। ये सभी Essential Drugs में शामिल हैं। इन सभी दवाओं के लिए ससमय अधियाचना BMSICL, जो दवा क्रय हेतु नोडल एजेंसी है, को भेज दी जाए और जिन दवाओं की आपूर्ति BMSICL द्वारा नहीं की जा सकती हो, उन्हें स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर भंडारित करना सुनिश्चित करे। बाढ़ के पूर्व आवश्यक दवाओं की मात्राओं का आकलन करते हुए दवाओं का क्रय दवा ईकाई मद/NHM की निधि में उपलब्ध आवंटन से करेगे। प्राप्त दवाओं को यथा शीघ्र सभी अस्पतालों सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
3. बाढ़ के समय /बाढ़ के पश्चात् कुत्ता एव सियार काटने की घटनाये होती रहती है। यह अनुभव रहा है कि स्थानीय स्तर पर कुत्ता/सियार काटने की उपचारात्मक दवा उपलब्ध नहीं रहने/ कमी के कारण कठिनाई होती है। अतः एन्टीरेबीज दवा भी नियमानुसार, आवश्यकता का आकलन कर भंडारण कर ली जाय।

(छ) उपचारात्मक:-

1. सर्पदश से आक्रान्तों की मृत्यु समय से उपचार न होने पर हो सकती है। जल-जमाव/बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जमीन के छिद्र में पानी प्रवेश कर जाने से साँप बाहर आ जाते हैं जिससे सर्पदश की घटनाएँ बढ़ जाती हैं, इसलिए सुनिश्चित कर ले कि सभी अस्पतालों में ए0एस0भी0एस0 की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। लेकिन सभी सर्पदश घातक नहीं होते हैं, अतः चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्पदश की दवाईयों का उपयोग वे आवश्यकतानुसार करेगे।
2. नवजात शिशुओं के लिए नियमित टीकाकारण भी बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगे एव गर्भवती महिलाओं की पहचान पूर्व से ही कर ली जाय एव इसके लिए डिलिवरी कीट एव अन्य व्यवस्थाएँ पूर्व में ही कर लेगे।
3. पूर्व के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा कुपोषण केन्द्र, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, सेनेटरी किट इत्यादि के सम्बन्ध में भी विशेष रूप से योजना बना लिया जाय।

(ज) अस्थायी अस्पताल एवं नौका औषधालय की व्यवस्था:-

1. जिन क्षेत्रों में महामारी फैल गई है और प्रभावितों की संख्या ज्यादा है, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उप केन्द्र, स्कूल, पंचायत भवन आदि में अस्थायी अस्पताल खोला जायेगा। वहाँ पर यह अस्थायी अस्पताल तबतक चलते रहेगे जबतक महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है, और वहाँ पर सभी कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत रहेगे।

Bhutta
28/4/26

2. उन क्षेत्रों में जहाँ पर गाँव/कस्बा, जल जमाव या बाढ़ से घिर जाते हैं, सड़क सम्पर्क टूट जाता है, उन प्रभावित क्षेत्रों में जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नौका पर औषधालय खोला जायेगा और यह प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करेगा। नौका पर औषधालय जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी, ए0एन0एम0 और पारा मेडिकल कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवा एवं सामग्री की व्यवस्था रहेगी, जिसे सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा। दवा और सामग्री की कमी होने पर एक दिन पहले नौका आषधालय के चिकित्सा पदाधिकारी दवा और सामग्री की आअपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पताल से अनुरोध कर प्राप्त कर लेंगे। सबधित जिला पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि नौका पर औषधालय हेतु नाव एवं नाविक उपलब्ध करायेगे।

(झ) प्रशासनिक व्यवस्था:—

1. जिलाधिकारी को विभिन्न श्रोतों से महामारी के सबध में सूचना प्राप्त होती है, उन सूचनाओं पर सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि गठित चिकित्सा दल को उस स्थान पर आवश्यक उपचार हेतु भेजेगे।
2. महामारी की रोकथाम तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार आदि के लिए जिलाधिकारी/सिविल सर्जन किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी को अप्रभावित जगहों से हटा कर प्रभावित जगहों पर महामारी की रोक-थाम हेतु प्रतिनियुक्त करेगे। ऐसे प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी तबतक प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहेंगे। जबतक कि महामारी पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है।
3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को बाढ़ के समय अवकाश देय नहीं होगा, यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह अवकाश की स्वीकृति सिविल सर्जन के अनुशसा पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त करेगे। बाढ़ के समय में कोई चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थित रहेंगे तो यह गम्भीर कदाचार माना जाएगा एवं उन पर इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।
4. जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन को यह अधिकार दिया जाता है कि महामारी की रोक-थाम एवं नियंत्रण करने में यदि अतिरिक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता हो, तो वे चिकित्सा महाविद्यालयों से कनीय चिकित्सक/स्नातकोत्तर के चिकित्सक तथा पारा मेडिकल एवं स्वास्थ्य कर्मी की सेवाएँ अधीक्षक/प्राचार्य से प्राप्त कर सकते हैं और वे महामारी खत्म होने तक सिविल सर्जन के अधीन प्रतिनियुक्त माने जायेगे।
5. चिकित्सा संस्थान/सभी चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल में चलन्त पैथोलॉजिकल दल गठित की जायगी जो निकटवर्ती जिलों में बाढ़ के समय महामारी उद्भेदन के स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करेगी। विशेष परिस्थिति में राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान, (RMRIMS) अगमकुआँ, पटना से भी सबधित पदाधिकारी सम्पर्क बनाये रखेगे।
6. पूर्व के अनुभव के आधार पर दवाओं एवं उपकरणों को सुरक्षित रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेगे, जिससे क्षति से बचा जा सके।

(ट) अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण:-

1. क्षेत्रीय अपर निदेशक/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महामारी के समय में प्रभावित क्षेत्रों का सघन भ्रमण एवं स्वास्थ्य संबंधी किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा करते रहेंगे और इसके नियंत्रण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी से सहयोग प्राप्त करेंगे।
2. प्रत्येक जिला में बाढ़ की अवधि तक जिलाधिकारी के अधीनस्थ एक बाढ़ नियंत्रण अनुश्रवण कोषाग का गठन होना है। उसी प्रकार सिविल सर्जन के अधीन भी बाढ़ की अवधि तक अनुश्रवण कोषाग का गठन होगा, जिसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी पाली के अनुसार कार्यरत रहेंगे।
3. महामारी/बीमारी से प्रभावितों की संख्या/ कुल मृतकों की संख्या एवं दवाओं/उपकरणों की उपलब्धता आदि की सूचना विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/स्वास्थ्य निदेशालय/राज्य स्वास्थ्य समिति को दूरभाष/ ई-मेल फ़ैक्स से ससूचित किया जाएगा। जल जमाव/बाढ़ के समय होने वाले बीमारियों के बारे में इस निर्देशिका के साथ सलग्न प्रपत्र फार्म-‘ए’, फार्म-‘बी’ एवं फार्म ‘सी’ में वर्णित विवरणी के अनुसार सकलन कर प्रतिवेदन अनुश्रवण कोषाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे साथ ही दैनिक अद्यतन स्थिति की सूचना उपरोक्त को ई-मेल ssosbihar@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।
4. बाढ़ के समय स्वास्थ्य विभाग से सबधित अस्पताल भवन/उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस सदर्थ में सबधित सिविल सर्जन की यह जिम्मेवारी होगी कि वे इसकी समीक्षोपरात आकलन करायेगे भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण कितनी क्षति हुई एवं उसके जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। साथ ही सिविल सर्जन सबधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल से प्राक्कलन बनवाकर विभाग को भेजे। सुलभ प्रसंग हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत “बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया” में वर्णित निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ठ) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्तर पर :-

1. किसी भी तरह की सूचना या मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना में स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष के टौल फ्री दूरभाष संख्या-‘104’ से सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा ई-मेल आईडी ssobihar@gmail.com पर सूचना भेजी जा सकती है।
2. राज्य IDSP पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार /राज्य के जिलों से महामारी के समय में प्रभावितों/मृतकों की संख्या/दवा एवं सामग्री की अद्यतन स्थिति प्राप्त करेंगे एवं जिलों से सतत् सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे साथ ही विभाग स्तर पर अवस्थित आपदा प्रबंधन कोषाग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे। इस कोषाग का दायित्व होगा कि

प्राप्त प्रतिवेदन से अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एव अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार सरकार को प्रतिवेदन सर्मपित करेगे।

- 3 निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार वे सभी निर्णय लेगे, जो बाढ़ से उत्पन्न महामारी के रोक-थाम के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

विश्वासभाजन

Shukla 30/4/26

(छिरिड.वाई. भूटिया)

विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०प्र०(विविध)-01/2024-311... (11)/स्वा०,पटना, दिनांक-04.05.26

प्रतिलिपि:- सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, BMSICL पटना को सूचनार्थ एव कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक,राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसन्धान विज्ञान संस्थान (RMRIMS) अगमकुआँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्राचार्य /अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार/अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, (मलेरिया/कालाजार) बिहार, पटना को सूचनार्थ एव कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट पर निर्गत अनुदेश अपलोड करने एव संबन्धित कोई-मेल द्वारा प्रेषण करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पत भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Shukla

विशेष सचिव

And